

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड



सादर सेवा

रोजगार अधिसूचना संख्या सीओ/पी-आर/01/2024
विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए भर्ती।

रोजगार अधिसूचना संख्या	सीओ/पी-आर/01/2024
रोजगार अधिसूचना की तिथि	16/08/2024
आवेदन प्रारम्भ होने की तिथि	16/09/2024
शुल्क भुगतान सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	06/10/2024 (23:59 घंटे)

1. अनुदेश

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल) के विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों के लिए पात्र व्यक्तियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

- भूमिअधिग्रहित हुए उम्मीदवार, अर्थात वे उम्मीदवार जिनकी भूमि केआरसीएल परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है, भले ही भूमि अधिग्रहण का प्रतिशत कुछ भी हो, ऐसे व्यक्ति स्वयं, उनके पति या पत्नी (पत्नी/पति), बेटा, बेटी, पोता, पोती ही भूमिहार हो सकते हैं।
- भूमि खोने वाले उम्मीदवारों के अलावा, जो महाराष्ट्र या गोवा या कर्नाटक के मूल निवासी हैं और जिनके पास कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में कोंकण रेलवे मार्ग पर रोजगार कार्यालय के साथ पंजीकृत वैध रोजगार विनिमय कार्ड है। (महाराष्ट्र के रायगड, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स / जिले, गोवा राज्य और उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़/कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट्स / जिले)
- भूमि अधिग्रहितो के अलावा जो महाराष्ट्र या गोवा या कर्नाटक राज्यों के अधिवासी हैं।
- केआरसीएल कर्मचारी: केआरसीएल कर्मचारी जिन्होंने केआरसीएल में कम से कम तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर ली है

निम्नानुसार तीन अलग-अलग सूचियाँ/पैनल निम्नानुसार तैयार किए जाएँगे:

क) भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार

ख) के.आर. मार्ग के निकट रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत उम्मीदवार

ग) उपरोक्त क) और ख) में उल्लिखित उम्मीदवारों के अलावा महाराष्ट्र, गोवा या कर्नाटक के निवासी उम्मीदवार और पात्र केआरसीएल कर्मचारी।

उपरोक्त वरीयताओं का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन के समय अपनी स्थिति घोषित करनी होगी। भूमि अधिग्रहित उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा और तीसरा पैनल केवल पात्र भूमि अधिग्रहितो के पैनल समाप्त होने के बाद ही संचालित किया जाएगा, जो अधिसूचित रिक्तियों की कमी पर निर्भर करेगा।

नोट:

(ए) केआरसीएल नीति के अनुसार, पूर्ववर्ती ग्रुप-डी पदों पर भर्ती केवल भूमि अधिग्रहित उम्मीदवारों तक ही सीमित है।

(बी) केआरसीएल के सेवारत कर्मचारी भी अधिसूचना की शर्तों और नियमों, जैसे आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण आदि को पूरा करने के अधीन आवेदन करने के पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद, ऐसे कर्मचारियों को अपने तत्काल पर्यवेक्षक/नियंत्रण अधिकारी को अपने आवेदन के बारे में सूचित करना चाहिए। इस अधिसूचना के तहत सेवारत कर्मचारियों का चयन डीएंडएआर और सतर्कता मंजूरी के अधीन होगा।

2. रिक्तियों की संख्या

अनु क्र.	विभाग	पद का नाम	चिकित्सा श्रेणी	यू आर	ईडब्ल्यू एस *	ओबीसी - एनसीएल	एस सी	एस टी	कुल	एक्स एस एम्*	पि डब्लू बी डी
1	विद्युत	वरिष्ठ अनुभाग अभियंता	A-3	3	0	1	1	0	5	0	0
		तकनीशियन-III	B-1	12	1	0	1	1	15	1	1
		सहायक लोको पायलट	A-1	11	1	0	2	1	15	1	0
2	सिविल	वरिष्ठ अनुभाग अभियंता	A-3	2	1	1	0	1	5	0	0
		ट्रैक मेंटेनर	A-3	23	4	0	5	3	35	7	0
3	मैकेनिकल	तकनीशियन-III	B-1	10	2	4	3	1	20	2	1
4	औपरेटिंग	स्टेशन मास्टर	A-2	6	1	0	2	1	10	1	0
		गुड्स ट्रेन मैनेजर	A-2	3	0	0	1	1	5	0	0
		पॉइंट्स मैन	A-2	31	6	5	12	6	60	12	0
5	सिग्नल एवं टेलीकम्यूनिकेशन	ई एस टी एम्-III	B-1	8	1	3	2	1	15	1	0
6	कमर्शियल	कमर्शियल सुपरवाइजर	C-1	4	0	1	0	0	5	0	0

नोट: उपरोक्त रिक्तियों में प्रत्याशित (anticipated) रिक्तियां शामिल हैं।

ऊपर दर्शाए गए पदों की संख्या अनंतिम है और केआरसीएल की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। तदनुसार, केआरसीएल अपनी वेबसाइट पर फिर से अद्यतन रिक्तियों को प्रकाशित करेगा, जिसमें संशोधित रिक्तियों, यदि कोई हो, का संकेत दिया जाएगा।

यह अधिसूचना अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर क्रीमी लेयर (ओबीसी-एनसीएल), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए लंबवत (vertical) आरक्षण और पूर्व सैनिकों और बचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए क्षैतिज (horizontal) आरक्षण प्रदान करती है।

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं। ईबीसी उम्मीदवार किसी भी नौकरी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

भूतपूर्व सैनिकों (पूर्व सैनिक) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की किसी भी रिक्त पद को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अधिसूचना पूर्व-सैनिकों के लिए उनके समुदाय को ध्यान में न लेते हुए, जहां भी लागू एवं स्वीकार्य हो, क्षैतिज (horizontal) आरक्षण प्रदान करती है।

3. वेतनमान

अनु क्र.	पद का नाम	7 वें सीपीसी में वेतन स्तर	प्रारंभिक वेतन (₹)	सीबीटी ग्रुप
1	वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (सिविल)	लेवल - 7	44900	पहला
2	वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (इलेक्ट्रिकल)	लेवल - 7	44900	दूसरा
3	स्टेशन मास्टर	लेवल - 6	35400	तीसरा
4	कमर्शियल सुपरवाइजर	लेवल - 6	35400	
5	गुड्स ट्रेन मैनेजर	लेवल - 5	29200	
6	तकनीशियन-III (मैकेनिकल)	लेवल - 2	19900	चौथा
7	तकनीशियन-III (इलेक्ट्रिकल)	लेवल - 2	19900	

8	ईएसटीएम-III (एस एंड टी)	लेवल -2	19900	
9	सहायक लोको पायलट	लेवल -2	19900	पांचवा
10	पॉइंट्स मैन	लेवल -1	18000	छठा
11	ट्रैक मेंटेनर - IV	लेवल -1	18000	

4. इस अधिसूचना में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर

सामान्य	सीबीटी = कंप्यूटर आधारित टेस्ट, सीबीएटी = कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, सीडीए- केंद्रीय महंगाई भत्ता, डीवी- दस्तावेज सत्यापन, एलटीआई = बाएं अंगूठे का निशान, पीएसयू = सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, पीईटी = शारीरिक क्षमता चाचणी, ओएमआर = ऑप्टिकल मार्क पहचान, ईई = रोजगार कार्यालय, एमई = मेडिकल परीक्षा, पीएमएल = वेतन मैट्रिक्स स्तर
आरक्षण/आयु में छूट श्रेणी	ईडब्ल्यूएस = आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पीडब्ल्यूबीडी = बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति, ईबीसी = आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, एक्सएसएम = भूतपूर्व सैनिक, ओबीसी-सीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-क्रीमी लेयर, ओबीसी-एनसीएल = अन्य पिछड़ा वर्ग-गैर-क्रीमी लेयर, एससी = अनुसूचित जाति, एसटी = अनुसूचित जनजाति, यूआर = अनारक्षित (सामान्य), एसएलएओ = विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, आरटीसी = अधिकार, हस्तांतरण और फसलों का भूमि रिकॉर्ड
संस्थाएं / परिषद / प्रमाण पत्र	केआरसीएल = कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड; एनओसी = अनापत्ति प्रमाण पत्र।
विकलांग	एच आई = श्रवण बाधित, एल डी = लोकोमोटर विकलांगताएं, एएवी=एसिड अटैक विक्टिम, डी=बहरा, डीडब्ल्यू=बौनापन, एचएच=श्रवण बाधित, एमडी = एक से अधिक विकलांगताएं, ओएल=एक पैर,

5. पात्रता मापदंड

5.1 आयु सीमा: 18 से 36 वर्ष.

सभी अधिसूचित पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा समान है। ऐसे कई उम्मीदवारों को राहत देने के लिए, जो आयु सीमा पार कर चुके हैं और कोविड-19 महामारी के कारण केआरसीएल भर्ती में भाग लेने का अवसर चूक गए हैं, निर्धारित अधिकतम आयु से 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। ऊपर उल्लिखित पदों के लिए सीमा आयु की गणना 01/08/2024 के अनुसार की जाएगी।

5.2 नीचे दी गई तालिका में निम्नलिखित श्रेणियों/समुदायों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट डीवी के समय अपेक्षित प्रमाणपत्र जमा करने के अधीन लागू है। उपयुक्त में दर्शाए गए के अनुसार आयु में 03 वर्ष की छूट दी जाएगी।

अनु क्र.	समुदाय / श्रेणी	अधिकतम आयु में छूट	अधिकतम आयु	
1	एससी और एसटी उम्मीदवार	5 साल	41 साल	
2	ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) उम्मीदवार	3 साल	39 साल	
3	सत्यापन के बाद कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा वाले पूर्व सैनिक	भूतपूर्व सैनिक (यूआर और ईडब्ल्यूएस)	3 वर्ष *	39 साल
		भूतपूर्व सैनिक (ओबीसी-एनसीएल)	6 वर्ष *	42 साल
		भूतपूर्व सैनिक (एससी और एसटी)	8 वर्ष *	44 साल
*आयु में छूट की गणना आयु से सेवा की अवधि घटाने के बाद की जाएगी।				
4	बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (PwBD)	PwBD - यूआर और ईडब्ल्यूएस	10 साल	46 साल
		PwBD - ओबीसी (एनसीएल)	13 साल	49 साल
		PwBD - एससी और एसटी	15 साल	51 साल
5	कोंकण रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा वाले सेवारत कोंकण रेलवे कर्मचारी, जिनमें कोंकण रेलवे में न्यूनतम 3 वर्ष की निरंतर सेवा वाले बंगला प्यून भी शामिल हैं, और जिनका केआरसीएल में ग्रहणाधिकार (lien) निर्धारित किया गया है।	यूआर और ईडब्ल्यूएस	--	40 साल
		ओबीसी (एनसीएल)	--	43 साल
		(एससी और एसटी)	--	45 साल

क) जो उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों के लिए आरक्षण चाहते हैं / या आयु में छूट चाहते हैं, उन्हें डीवी के समय निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी से मूल रूप में अपेक्षित / सम्बंधित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अन्यथा, एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/एक्सएसएम/पीडब्ल्यूबीडी/ईडब्ल्यूएस स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी उम्मीदवारी/आवेदन पर सामान्य (यूआर) श्रेणी के तहत विचार किया जाएगा, यदि पात्र हों। प्रमाणपत्र संलग्न प्रारूप के अनुसार होने चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ख) जिन सेवा कर्मियों को 06/10/2025 को या उससे पहले सैन्य से निवृत्ति की संभावना है, वे पूर्व सैनिक के रूप में इस रोजगार नोटिस के तहत आवेदन करने के पात्र हैं।

ग) यदि उम्मीदवार एक से अधिक आधार पर आयु में छूट के लिए पात्र हैं, तो उन्हें उन छूटों में से अधिकतम छूट मिलेगी जिसके लिए वे पात्र हैं (संचयी नहीं)।

घ) यूआर रिक्तियों के तहत आवेदन करने वाले एससी, एसटी और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों को आयु में कोई छूट नहीं मिलेगी।

ड) यूआर रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को केवल पीडब्ल्यूबीडी (यूआर) के लिए उपयुक्तता की शर्तों के अधीन लागू आयु में छूट दी जाएगी।

5.3 उम्मीदवारों की जन्म तिथि नीचे दी गई तिथियों के बीच होनी चाहिए: (दोनों तिथियों को शामिल करते हुए)

आयु समूह (वर्षों में): 18 - 36 वर्ष				
जन्म तिथि की अधिकतम सीमा (उल्लेखित तिथि से पहले नहीं)				जन्म तिथि की न्यूनतम सीमा (उल्लेखित तिथि के बाद नहीं)
सभी उम्मीदवार	यूआर और ईडब्ल्यूएस	ओबीसी (एनसीएल)	एससी और एसटी	01.08.2006
	01.08.1988	01.08.1985	01.08.1983	
PwBD उम्मीदवार	यूआर और ईडब्ल्यूएस	ओबीसी (एनसीएल)	एससी और एसटी	
	01.08.1978	01.08.1975	01.08.1972	
कोंकण रेलवे कर्मचारी	UR & EWS	OBC-NCL	SC & ST	
	01.08.1984	01.08.1981	01.08.1979	

6.0 भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार

भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने केआरसीएल मार्ग पर रोहा (महाराष्ट्र) से ठोकुर (कर्नाटक) के बीच केआरसीएल परियोजना के लिए अपनी जमीन दी है, यानी जिसकी भूमि कोंकण रेलवे परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई थी, भले ही भूमि का प्रतिशत कितना भी अधिग्रहित किया गया हो, ऐसे व्यक्ति स्वयं उसका जीवनसाथी (पत्नी/पति), बेटा, बेटा, पोता, पोती ही पात्र हैं।

उपरोक्त परिभाषा के अनुसार, अब भूमि अधिग्रहित व्यक्ति के मातृ पक्ष की बेटा/पोती/पोता भी भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार के रूप में आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

केआरसीएल की नीति प्रति अधिग्रहण केवल एक सदस्य को भर्ती करने की है, जिनकी भूमि केआरसीएल (जनरल और ओबीसी-एनसीएल) द्वारा अधिग्रहित की गई है। हालांकि, यह शर्त SC/ST उम्मीदवारों पर लागू नहीं है। (उम्मीदवारों को केआरसीएल की संशोधित भर्ती नीति दिनांक 16/03/2018, 29/08/2019 और 02/09/2020 को पढ़ना चाहिए, जो केआरसीएल की वेबसाइट www.konkanrailway.com पर उपलब्ध है - → विभाग - → कार्मिक - → भर्ती नीति)।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलावा वे भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार, जिनके रिश्तेदार / एक ही भूमि सर्वेक्षण संख्या के संयुक्त मालिक पहले से ही केआरसीएल में भर्ती हो चुके हैं, उसी भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहित हुए उम्मीदवार के रूप में आवेदन नहीं कर सकते हैं, हालांकि, वे भूमि अधिग्रहित के अलावा अन्य के रूप में आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का उल्लेख नीचे पैरा 6.1.2 और 6.1.3 में किया गया है। ऐसी स्थिति में भूमि अधिग्रहित का कोई भी लाभ उन पर लागू नहीं होगा।

6.1 भर्ती में प्राथमिकता:

जो पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें केआरसीएल में भर्ती में प्राथमिकता निम्नानुसार दी जाएगी:

1. भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार: केआरसीएल में भर्ती के लिए पहली प्राथमिकता पात्र भूमि अधिग्रहित हुए उम्मीदवारों को दी जाएगी। भूमि अधिग्रहित उम्मीदवारों को इस कार्यालय के पत्र संख्या सीओ-13033/1/2018-कार्मिक दिनांक 29/08/2019 (इस अधिसूचना के पैरा 6.0 में भी उल्लिखित) के संदर्भ में परिभाषित किया गया है।

2. केआर मार्ग के निकट के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत उम्मीदवार: केआरसीएल में भर्ती के लिए दूसरी प्राथमिकता भूमि अधिग्रहित के अलावा उन लोगों को दी जाएगी जो महाराष्ट्र या गोवा या कर्नाटक के मूल निवासी हैं और कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकार क्षेत्र में कोंकण रेलवे मार्ग के पास के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं। (महाराष्ट्र के रायगढ़, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले, गोवा राज्य, उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़/कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले)।

3. महाराष्ट्र या गोवा या कर्नाटक का अधिवासी: केआरसीएल पर भर्ती के लिए तीसरी प्राथमिकता भूमि अधिग्रहित वाले के अलावा अन्य लोगों को दी जाएगी जो महाराष्ट्र या गोवा या कर्नाटक राज्यों के अधिवासी हैं।

नोट:

क) भूमि अधिग्रहित उम्मीदवार, केआर मार्ग के निकट के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत उम्मीदवार और भूमि अधिग्रहित उम्मीदवारों के अलावा जो महाराष्ट्र या गोवा या कर्नाटक राज्यों के अधिवासी हैं और केआरसीएल कर्मचारियों के लिए अलग तीन सूची/पैनल तैयार किए जाएंगे।

ख) उपरोक्त प्राथमिकताओं का लाभ उठाने के लिए, उम्मीदवार को आवेदन के समय ही अपनी स्थिति घोषित करनी होगी।

7.0 सीधा आरक्षण (Vertical Reservation):

7.1 यह अधिसूचना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस), अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) (ओबीसी-एनसीएल) के लिए जहां भी लागू हो और मौजूदा नियमों के तहत सीधा आरक्षण प्रदान करती है, वे समुदाय जो भारत सरकार द्वारा एससी, एसटी और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, आरक्षण के लिए पात्र हैं।

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं। ईबीसी उम्मीदवार किसी भी नौकरी आरक्षण के हकदार नहीं हैं।

7.2 समुदाय का विचार किए बिना सभी उम्मीदवारों का सामान्य यानी अनारक्षित (यूआर) रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा (यूआर के लिए आवश्यक पात्रता शर्तों की पूर्ति के अधीन)। हालाँकि, विशिष्ट समूहों (जैसे, एससी, एसटी, ओबीसी (एनसीएल) और ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षित रिक्तियां केवल उस समुदाय/श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएंगी।

7.3 इसलिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवार जो आवश्यक शैक्षिक और तकनीकी योग्यताएं पूरी करते हैं, वे यूआर रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें परीक्षा के किसी भी चरण में आयु, योग्यता या अंक आदि में किसी छूट/रियायत के बिना सामान्य (गैर-आरक्षित) उम्मीदवारों के रूप में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। उम्मीदवारों को आवेदन में अपने वास्तविक समुदाय को दर्शाने की सलाह दी जाती है।

7.4 आरक्षण का लाभ उठाने के लिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान आवश्यक प्रमाण पत्र (मूल रूप में) प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अनुलग्नक-I (एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए), अनुलग्नक-II (ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए) और अनुलग्नक-III (ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए) में दिए गए प्रारूप के अनुसार जारी किए जाने चाहिए।

7.5 ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख होना चाहिए कि "यह प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक विभाग एवं प्रशिक्षण कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) दिनांक 08/09/93 और संशोधित भारत सरकार विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013-स्था.(Res.) दिनांक 13/09/2017* की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।"

(*आगे संशोधन, यदि कोई हो, इस अधिसूचना के विरुद्ध आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त हो)।

7.6 ओबीसी के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जाति/समुदाय प्रमाणपत्र है और वह क्रीमी लेयर में नहीं आता है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान, ऐसे उम्मीदवारों को अपना मूल ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र (निर्धारित प्रारूप में) प्रस्तुत करना चाहिए जो आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार वैध है, और एक स्व-घोषणा पत्र (अनुलग्नक IIA में दिए गए प्रारूप में) भी प्रस्तुत करना चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि वे "संबंधित नहीं हैं" क्रीमी लेयर के लिए। अन्यथा, आरक्षण के लिए उनका दावा (ओबीसी-एनसीएल के रूप में) स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके बजाय, उन्हें सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन केवल यूआर उम्मीदवारों के रूप में माना जा सकता है।

7.7 महत्वपूर्ण: इस अधिसूचना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार समुदाय/श्रेणी की स्थिति पर केवल पात्रता के अनुसार आरक्षण और संबंधित लाभों के लिए विचार किया जाएगा। इसके बाद इस स्थिति में किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।

7.8 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण:

ऐसे उम्मीदवार जो एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल के लिए आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये) रुपये से कम है उन्हें ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण के लाभ के लिए ईडब्ल्यूएस के रूप में ग्राह्य माना जाना है। आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय भी शामिल होगी। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है, उन्हें ईडब्ल्यूएस के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगा, भले ही पारिवारिक आय कुछ भी होः:

7.8.1 5 एकड़ और उससे अधिक कृषि भूमि;

7.8.2 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट;

7.8.3 अधिसूचित नगर पालिका में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;

7.8.4 अधिसूचित नगर पालिका के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति स्वामित्व जांच लागू करते समय एक परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में स्थित संपत्ति को जोड़ा जाएगा। इस प्रयोजन के लिए परिवार शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसका जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। अनुलग्नक III में दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के रूप में स्वीकार किया जाएगा:

क) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उपविभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त

ख) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

ग) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो

घ) उस क्षेत्र का उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास इस अधिसूचना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तदनुसार, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में प्रमाणपत्र संख्या, प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख, जारी करने वाला प्राधिकारी, जिला और जारी करने का राज्य इत्यादि विवरण भरना होगा। इसके अलावा, इन उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान वैध आय और संपत्ति प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी/आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) के तहत विचार किया जाएगा। रिक्तियों के लिए विचार किया जाएगा।

8.0 समस्तरीय आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION) :

8.1 यह अधिसूचना भूत पूर्व सैनिकों (Ex.SM) और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (PwBD) के लिए उनके सामाजिक समुदाय का विचार किये बिना क्षैतिज आरक्षण का भी प्रावधान करती है।

8.2 रिक्ति तालिका में दर्शाई गई कुल रिक्तियों में भूत पूर्व सैनिकों (Ex.SM) और बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (PwBD) के लिए आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं।

8.3 भूत पूर्व (Ex.SM) उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

8.4 इसी प्रकार, PwBD उम्मीदवार किसी भी पद की अनारक्षित रिक्तियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं जो विशेष रूप से उनके लिए निर्धारित नहीं हैं, लेकिन पद को उनकी विकलांगता के लिए उपयुक्त के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। वे इन पदों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में छूट और शुल्क में छूट के पात्र होंगे।

8.5 यदि विकलांगता की उस श्रेणी के तहत उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से PwBD के लिए आरक्षित रिक्तियां नहीं भरी जा सकती हैं, तो ऐसी रिक्तियां नहीं भरी जाएंगी और उन्हें बैकलॉग रिक्ति के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

9.0 भूतपूर्व सैनिक (EX-SERVICEMEN)

9.1 भूतपूर्व सैनिक शब्द का अर्थ वह व्यक्ति है जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायु सेना में किसी भी पद पर (चाहे एक लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में) सेवा की हो, लेकिन इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिसने रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, लोक सहायक सेना और अर्धसैनिक बल में सेवा की हो।

और

क) जो या तो अपने स्वयं के अनुरोध पर या अपनी पेंशन अर्जित करने के बाद नियोक्ता द्वारा कार्यमुक्त किया गया हो, ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या मुक्त किया गया हो; (या)

ख) जिसे सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया हो और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन से सम्मानित किया गया हो; (या)

ग) जिसे संस्थान में कमी के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त कर दिया गया है; (या)

घ) जिसे अनुबंध की विशिष्ट अवधि पूरी करने के बाद, उसके स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी के माध्यम से, या कदाचार या अक्षमता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया हो और उसे ग्रेच्युटी दी गई हो; और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्, निरंतर सन्निहित सेवा या अर्हक सेवा के टूटे हुए दौर के लिए पेंशन धारक; (या)

ड) सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापसी के बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त किए गए हैं और चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन प्रदान की गई हो (या)

च) कार्मिक जो 14 अप्रैल 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; (या)

छ) प्रादेशिक सेना के कर्मियों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; (या)

ज) चिकित्सा आधार पर सेवा से मुक्त किये गए पूर्व - रंगरूट, जिन्हें दिनांक 01.02.2006 से चिकित्सा अक्षमता पेंशन प्रदान की गयी है।

9.2 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्ति पर पूर्व सैनिकों की श्रेणी में आते हैं, सेवा कार्य की विशिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनः रोजगार के लिए आवेदन करने और उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा नेके पात्र हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को तब वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जबतक कि वे संघ के सशस्त्र बलों में नियुक्ति की विशिष्ट शर्तों को पूरा नहीं कर लेते।

9.3 तदनुसार, ऐसे सेवारत रक्षा कार्मिक, जिन्हें इस अधिसूचना के तहत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के एक वर्ष के भीतर (अर्थात्, अधिसूचना की तिथि के अनुसार 06/10/2025 या उससे पहले) सेवामुक्त किया जाना है, वे भूत पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित रिक्तियों और उनके लिए आरक्षित नहीं किये गए पदों, दोनों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उनके पास इस अधिसूचना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि (अर्थात्, अधिसूचना की तिथि के अनुसार 06/10/ 2024) के अनुसार निर्धारित शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए।

9.4. पूर्व सैनिक उम्मीदवार जो पहले से ही केंद्र सरकार के तहत समूह 'सी' और पूर्ववर्ती समूह 'डी' (पीएसयू, स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में कार्यरत हैं, पूर्व सैनिकों को दिए गए लाभों का लाभ उठाने के बाद में, वे केवल केंद्र सरकार के तहत समूह 'सी' और पूर्ववर्ती समूह 'डी' में उच्च ग्रेड या कैडर में एक और नागरिक रोजगार हासिल करने के लिए पूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भूत पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

9.5 यदि कोई पूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार के लिए कार्यभार प्राप्त करने से पूर्व विभिन्न रिक्तियों के तहत आवेदन करता है, तो वह किसी भी अनुवर्ती रोजगार के लिए पूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है, बशर्ते की पूर्व सैनिकों को किसी सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने पर अपने सम्बंधित नियोक्ता के सम्मुख इस अधिसूचना के अंतर्गत दिए गए आवेदन के साथ अनेक रिक्तियों के लिए आवेदन के विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचनपत्र देना चाहिए। सिविल नियोक्ता से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित इस घोषणा की पावती दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत की जानी चाहिए अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती से भरी गई हैं और जहां भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण लागू है।

10.0 बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (PwBD)

इस भर्ती के प्रयोजन के लिए विकलांगता की श्रेणियां (न्यूनतम 40% विकलांगता के अधीन) निम्नानुसार हैं:

HI - श्रवण हीनता (बहरा, सुनने में कठिनाई)

LD - एलडी - लोकोमोटर दिव्यांग- (एक पैर, दोनों पैर, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, कुष्ठ रोग से ठीक हुआ)

MD- एमडी - एकाधिक दिव्यांग - (खंड (ए) से (सी) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता, जिनमें प्रत्येक विकलांगता के लिए विशेष रूप से पहचाने गए पद पर बहरा-अंधापन शामिल है - इस शर्त के अधीन कि प्रत्येक विकलांगता कम से कम 40% या अधिक होनी चाहिए)

नोट: उम्मीदवार कृपया भारत सरकार की वेबसाइट <https://depwd.gov.in/acts/> देखें और अधिक जानकारी के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रासंगिक भाग देखें।

10.1 दिव्यांगजनों के लिए किसी पद की उपयुक्तता या अन्यथा को विकलांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के विवरण के साथ "बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए उपयुक्तता" कॉलम के तहत प्रत्येक पद के लिए पोस्ट पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) में दर्शाया गया है।

10.2 दिव्यांग उम्मीदवारों को अयोग्यता से बचने के लिए केवल उन पदों के लिए आवेदन करने में सावधानी बरतनी चाहिए जिन्हें स्पष्ट रूप से उनकी बेंचमार्क दिव्यांगता या दिव्यांगता की निर्दिष्ट उप-श्रेणी के लिए उपयुक्त बताया गया है।

10.3 छूट के लिए दिव्यांगजनों की डिग्री और दिव्यांग प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी: छूट के लिए केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में संबंधित समुदाय में शर्तों में छूट/आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो प्रासंगिक दिव्यांग के 40 प्रतिशत से कम नहीं हैं। जो व्यक्ति छूट का लाभ लेना चाहता है, उसे अनुलग्नक-V (A), V(B) और V(C) फॉर्म V, VI या VII के प्रोफार्मा के अनुसार विकलांग व्यक्तियों के अधिकार नियम, 2017 के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) के अनुसार लागू, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण-पत्र के समय जमा करना होगा।

10.4 स्क्राइब की सहायता: उम्मीदवार जिनकी लेखन गति सेरेब्रल पाल्सी सेपीडित उम्मीदवार /एक हाथ वाले उम्मीदवार / मस्क्युलर डिस्ट्रोफी / बौद्धिक विकलांगता (ऑटिज्म, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवार अपनी ओर से उत्तर लिखने के लिए लेखक (स्क्राइब) की सहायता ले सकते हैं। लेखक (स्क्राइब) की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को अपने ऑनलाइन आवेदन में इसका उल्लेख करना होगा। एक लेखक (स्क्राइब) की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

10.4.1 PWBD उम्मीदवार, जो एक लेखक (स्क्राइब) के लिए पात्र है, लेखक (स्क्राइब) की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

10.4.2 उम्मीदवार के साथ आने वाले लेखक (स्क्राइब) को अलग से ई-कॉल लेटर जारी किया जाएगा।

10.4.3 परीक्षा के दौरान लेखक (स्क्राइब) के किसी भी दुरु्यवहार के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा।

10.4.4 लेखक (स्क्राइब) को इस अधिसूचना में उम्मीदवार नहीं होना चाहिए।

10.4.5 एक ही लेखक (स्क्राइब) को एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। लेखक (स्क्राइब) और उम्मीदवार दोनों इसकी घोषणा देनी होगी। यदि किसी भी स्तर पर उल्लंघन पाया जाता है, तो उम्मीदवार और लेखक (स्क्राइब) दोनों को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

10.4.6 स्क्राइब के लिए अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन में अपने स्क्राइब का अतिरिक्त विवरण [अनुलग्नक-V(डी) के अनुसार] प्रदान करना होगा, ताकि केआरसीएल आवश्यक ई-कॉल लेटर जारी कर सकें।

10.4.7 सीबीटी के दौरान, ई-कॉल पत्र पर उम्मीदवार और लेखक (स्क्राइब) दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। सीबीटी स्थल पर लेखक (स्क्राइब) को बदलने की अनुमति नहीं है और इसलिए उसी लेखक (स्क्राइब) की उपलब्धता सुनिश्चित करना उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। हालाँकि, असाधारण परिस्थितियों में, कारण दर्ज करके और बदले गए लेखक (स्क्राइब) की फोटो सहित आवश्यक विवरण भरकर परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

10.4.8 लेखक (स्क्राइब) की सहायता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सीबीटी के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट के प्रतिपूरक समय के पात्र होंगे।

10.4.9 सभी एक-आंख वाले उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जिनकी दृश्य दिव्यांग की डिग्री 40% से कम है, लेखक नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होंगे।

10.5 चयनित PwBD उम्मीदवारों को उनके DV के बाद रेलवे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा चिकित्सा परीक्षण के अधीन किया जाएगा और केवल निर्धारित चिकित्सा मानकों के अनुरूप उम्मीदवार ही पैनल में शामिल होने के लिए पात्र होंगे (उन पदों के लिए जिन्हें उनकी दिव्यांगता के लिए उपयुक्त माना गया है)।

11.0 शैक्षणिक योग्यता

(क) कृपया प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता के लिए पोस्ट पैरामीटर तालिका (अनुलग्नक-ए) देखें।

(ख) निर्धारित शैक्षिक/तकनीकी योग्यता की अंतिम परीक्षा में शामिल होने वाले और/या परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी।

(ग) वेतन स्तर -2 में तकनीशियन के पद के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण अधिनियम अप्रेंटिस/आईटीआई के बदले इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री स्वीकार नहीं की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो। कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप (सीसीएए) के बदले में ग्रेजुएट एक्ट अप्रेंटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12.0. आवेदन कैसे करें

पद की प्राथमिकता:

विभिन्न पीएमएल में एक से अधिक पद, उनके विवरण और अन्य आवश्यकताएँ इस अधिसूचना के पैरा (2) और (3) में दर्शाए गए हैं। उम्मीदवार अपनी शैक्षिक योग्यता के आधार पर अनेक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को अपनी पद-वार प्राथमिकता बहुत सावधानी से दर्शानी होगी। ऑनलाइन आवेदन में एक बार चुने गए विकल्प अंतिम होंगे और परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पद (पदों) के लिए विकल्प चुनते समय सावधानी बरतें। केआरसीएल चयनित उम्मीदवार को योग्यता, रिक्ति स्थिति और चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में योग्यता के आधार पर उम्मीदवार की प्राथमिकता के अनुसार केवल एक पद आबंटित करेगा।

उम्मीदवारों को तकनीशियन-III/इलेक्ट्रिकल और तकनीशियन-III/मैकेनिकल में से केवल एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति है।

नोट: किसी विशिष्ट पद के लिए चयनित उम्मीदवार द्वारा अपनी प्राथमिकता के अनुसार निम्नतर पद के आबंटन के लिए किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ए) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल केआरसीएल की आधिकृत वेबसाइट www.konkanrailway.com पर जाएं और फर्जी वेबसाइटों और नौकरी रैकेटर्स से सावधान रहें।

बी) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

सी) जो उम्मीदवार आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, वे अपनी प्राथमिकता के क्रम में एकल आवेदन में एक या एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र और इच्छुक हैं। इस अधिसूचना के पैरा (3) के अनुसार उम्मीदवारों द्वारा चयनित प्रत्येक सीबीटी परीक्षा समूह के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन भरते समय करना है। किसी उम्मीदवार द्वारा इस अधिसूचना के विरुद्ध एक से अधिक आवेदन जमा करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप सभी आवेदनों को अस्वीकार किए जाएंगे और इस अधिसूचना की चयन प्रक्रिया से अयोग्य और वंचित किया जाएगा।

परीक्षा शुल्क और भुगतान के तरीके के बारे में विवरण के लिए, उम्मीदवारों को इस अधिसूचना पैरा क्रमांक 18 और 19 देखने की सलाह दी जाती है।

डी) सीबीटी के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की पात्रता केवल ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर ही मानी जाएगी। यदि भर्ती के किसी भी चरण में या उसके बाद, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी झूठी/गलत है या उम्मीदवार ने कोई प्रासंगिक जानकारी छिपाई है या उम्मीदवार पद के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत खारिज कर दी जाएगी।

ई) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन भरने से पहले अधिसूचना में विस्तृत सभी जानकारी और निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़ लें और केआरसीएल की आधिकृत वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन करें। आवेदन भरते समय किसी भी गलती से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उम्मीदवार अधिसूचना की सभी जानकारी ठीक से समझें।

एफ) उम्मीदवारों के पास अपना मोबाइल नंबर, वैध और सक्रिय व्यक्तिगत ईमेल आईडी होनी चाहिए और उन्हें भर्ती की पूरी अवधि के दौरान सक्रिय रखना चाहिए क्योंकि केआरसीएल भर्ती पूरी तरह से समाप्त होने तक भर्ती संबंधी सभी पत्राचार केवल एसएमएस और ईमेल के माध्यम से भेजेगा। केआरसीएल किसी भी स्तर पर मोबाइल नंबर और ई-मेल पते में बदलाव के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा।

जी) उम्मीदवार को अपना नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि केवल मैट्रिक/एसएसएलसी/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष प्रमाण-पत्र में दर्ज हो उसी तरह दर्ज करनी चाहिए।

एच) नाम परिवर्तन के मामलों में, उम्मीदवारों को अपना परिवर्तित नाम केवल ऑनलाइन आवेदन में ही अंकित करना चाहिए। हालाँकि, अन्य विवरण मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाणपत्र से मेल खाना चाहिए। ऐसे परिवर्तन की तिथि (या) ऐसे परिवर्तन के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने की तिथि से पहले की होनी चाहिए। ऐसे मामलों के लिए लागू राजपत्र अधिसूचना या कोई अन्य कानूनी दस्तावेज डीवी के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

आई) उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन आवेदन तेजी से भरना सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें आवेदन भरने से पहले निम्नलिखित अनिवार्य दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति तैयार रखनी चाहिए:

- हाल में लिया गया जेपीईजी फोटो (आकार 30 से 70 केबी) स्पष्ट रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटो (एक सादे सफेद बैकग्राउंड पर) - काले चश्मे और / या टोपी के बिना।

नोट: भर्ती प्रक्रिया के दौरान भविष्य में उपयोग के लिए उम्मीदवारों के पास एक ही तस्वीर की कम से कम 12 (बारह) प्रतियां होनी चाहिए।

- उम्मीदवार के हस्ताक्षर की स्कैन की गई JPEG इमेज (साइज 30 से 70 KB)

- एससी/एसटी प्रमाण-पत्र (केवल ट्रेन यात्रा के लिए मुफ्त पास का अनुरोध करने वाले उम्मीदवारों के लिए) पीडीएफ प्रारूप में (500KB तक)

- PwBD दिव्यांग उम्मीदवारों को भी केवल उपरोक्त निर्देशों के अनुसार पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड करनी चाहिए (और विकलांगता प्रमाण-पत्र में प्रयुक्त की गई पूरे शरीर की फोटो नहीं)।

- स्क्राइब (केवल पात्र PwBD उम्मीदवारों के लिए लागू): स्क्राइब की पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करके उसका विवरण प्रदान करें। जेपीईजी इमेज (आकार 30 से 70 केबी) (सफेद पृष्ठभूमि पर) - बिना काला चश्मा और / या टोपी पहने। स्क्राइब की जानकारी देना अनिवार्य है। परीक्षा स्थल पर स्क्राइब को बदलने की अनुमति नहीं है। तदनुसार, असाधारण परिस्थितियों में कारण दर्ज करके और लेखक की तस्वीर सहित प्रासंगिक विवरण भरकर परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है।

जे) उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों या इस अधिसूचना के बारे में किसी भी बदलाव के बारे में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार केआरसीएल की वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है।

के) वैध दस्तावेजों के साथ यह साबित करने की जिम्मेदारी उम्मीदवारों पर है कि ऑनलाइन आवेदन में उनके द्वारा जमा की गई सभी जानकारी सही है।

एल) पंजीकरण प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन भरना: उम्मीदवारों को सबसे पहले केआरसीएल की अधिकृत वेबसाइट www.konkanrailway.com पर जाकर अपना नाम पंजीकृत करना होगा। सफल पंजीकरण पर, एक पंजीकरण क्रमांक तैयार होगा। यह पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड उम्मीदवारों को पंजीकृत ईमेल और मोबाइल नंबर के माध्यम से भेजा जाएगा। इसके अलावा पंजीकरण क्रमांक और पासवर्ड के साथ आवेदन करने के लिए एक लिंक उम्मीदवारों के पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजा जाएगा। इस लिंक को क्लिक करने के बाद उम्मीदवार आवेदन प्रपत्र तक पहुंच सकते हैं। पंजीकरण और आवेदन जमा करने के लिए लिंक 16/09/2024 को लाइव हो जाएगा।

एम) पंजीकरण के समय उम्मीदवारों को अपना आधार नंबर अवश्य प्रस्तुत करना होगा। इसलिए, उन्हें यूआईडीएआई के साथ अपने आधार विवरण को अपडेट करने की सलाह दी जाती है।

एन) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र की एक मुद्रित प्रति अपने पास रखें। हालाँकि, किसी भी परिस्थिति में किसी भी उम्मीदवार को आवेदन या किसी दस्तावेज की कोई हार्ड या सॉफ्ट कॉपी केआरसीएल को नहीं भेजनी चाहिए। इसे केवल दस्तावेज सत्यापन के समय ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ओ) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया के आगे के चरणों और पत्राचार के लिए अपना पंजीकरण नंबर नोट कर लें और सुरक्षित रखें।

उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि से पहले ही जमा कर दें, क्योंकि आखिरी कुछ दिनों में इंटरनेट या वेबसाइट पर अत्यधिक लोड के कारण वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता/असफलता की संभावना है।

ऑनलाइन आवेदन भरते समय इंटरनेट संबंधी समस्याओं के कारण भुगतान लेनदेन या आवेदन प्रस्तुत करने में किसी भी प्रकार की विफलता के लिए केआरसीएल जिम्मेदार नहीं है।

नोट: ऑनलाइन आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की कठिनाई/प्रश्नों के लिए कृपया भर्ती सेल हेल्प डेस्क को "रिक्रूटमेंट सेल हेल्प डेस्क" helpdeskrectcell@krcl.co.in मेल आईडी से मेल करें। केवल आवेदन से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया जाएगा और उन्हें उम्मीदवारों की मेल आईडी पर भेजा जाएगा। उपरोक्त हेल्प डेस्क मेल आईडी पर व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा। हेल्प डेस्क मेल आईडी केवल ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक ही सक्रिय रहेगी।

13.0 अमान्य आवेदन/अस्वीकृति: ऑनलाइन आवेदन अन्य कारणों के साथ-साथ निम्नलिखित आधारों पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी हैं:

- ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, टोपी के साथ फोटो या चश्मा/गहरा चश्मा पहने हुए फोटो के कारण अमान्य। ऐसी तस्वीरें जो विकृत हों, आकार छोटा, पूरा शरीर, चेहरे का केवल एक तरफ का दृश्य, पहचान में न आने वाली तस्वीरें, फोटो की फोटोस्टेट कॉपी, ग्रुप फोटो और बिना फोटो के ऑनलाइन आवेदन, कैपिटल लेटर में उम्मीदवार के हस्ताक्षर।

- कोई अन्य अनियमितता जो केआरसीएल द्वारा देखी गई और अमान्य मानी गई हो।

- यदि आवेदन खारिज कर दिया जाता है, तो उम्मीदवार केआरसीएल की वेबसाइट पर अस्वीकृति के कारण के साथ अपनी स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे, जो अंतिम और बाध्यकारी है और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन अस्वीकृत होने पर परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों और ई-मेल आईडी पर एसएमएस और ई-मेल अलर्ट भी भेजे जाएंगे, जैसा कि उनके ऑनलाइन आवेदन में दर्शाया गया है। उम्मीदवार को डाक द्वारा सूचित नहीं किया जाएगा।

- रेलवे या पीएसयू सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत (इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो प्रारंभिक प्रशिक्षण/परिवीक्षा प्रशिक्षण ले रहे हैं) उम्मीदवार अपने नियोक्ता को सूचित करते हुए सीधे केआरसीएल को आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने डीवी की तारीख पर नियोक्ता से एनओसी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

- उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि यदि केआरसीएल द्वारा उनके नियोक्ता से परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/ उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने के लिए कोई पत्राचार प्राप्त होता है, तो उनका आवेदन/उम्मीदवारी अस्वीकृत/रद्द कर दी जाएगी।

14.0 भर्ती प्रक्रिया

14.1 स्टेशन मास्टर (एसएम) और सहायक लोको पायलट (एएलपी) की भर्ती प्रक्रिया में सीबीटी, कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा/ओएमआर आधारित योग्यता परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी। सीबीटी के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को एसएम/एएलपी श्रेणी में अधिसूचित पदों की संख्या से आठ गुना अधिक कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट/ओएमआर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि, यह संख्या कुल रिक्तियों की संख्या के आधार पर भिन्न हो सकती है। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट/ओएमआर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की मेरिट सूची सीबीटी अंकों को 70% और एप्टीट्यूड टेस्ट अंकों को 30% वेटेज देकर तैयार की जाएगी। इसके बाद डीवी होगा।

14.2 सीनियर सेक्शन इंजीनियर (सिविल), सीनियर सेक्शन इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), गुडस ट्रेन मैनेजर (जीटीएम), कमर्शियल सुपरवाइजर, टेक्नीशियन-III/मैकेनिकल, टेक्नीशियन-III/इलेक्ट्रिकल और ईएसटीएम के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सीबीटी के बाद दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी।

14.3 पॉइंट्समैन और ट्रैक मेंटेनर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में सीबीटी के बाद दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और मेडिकल परीक्षा शामिल होगी।

अधिसूचित रिक्तियों की संख्या से पांच गुना अधिक सीबीटी उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (डीवी) के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद, सीबीटी और डीवी में उत्तीर्ण होने वाले अधिसूचित रिक्तियों की संख्या के तीन गुना उम्मीदवारों को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। पीईटी केवल क्वालीफाई होना आवश्यक है।

सीबीटी और अन्य अतिरिक्त गतिविधि के लिए तिथि, समय और स्थान, जैसा लागू हो, केआरसीएल द्वारा तय किया जाएगा और पात्र उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी संशोधन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

14.4 सीबीटी: सीबीटी परीक्षाएं सम्भवता 2024 के नवंबर महीने में निर्धारित हैं।

सीबीटी एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया है और सीबीटी के लिए प्रश्नों का मानक आम तौर पर पद के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों और/या न्यूनतम तकनीकी योग्यता के अनुरूप होगा।

नेगेटिव मार्किंग : सीबीटी में गलत उत्तरों के लिए नकारात्मक अंकन किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंकों में से 1/3 अंक कम किए जाएंगे।

14.5 प्रतिबंधित वस्तुएँ: उम्मीदवार संचार उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स (मोबाइल फोन, ब्ल्यूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, स्मार्ट घड़ियाँ), चूड़ियाँ, चेन, कंगन, श्रवण यंत्र, वॉलेट / पर्स, धातु के वस्त्र आदि जैसी प्रतिबंधित वस्तुएँ और पेन/पेंसिल जैसी किसी भी स्टेशनरी वस्तु को परीक्षा के दौरान ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने पर अयोग्यता के अलावा कानूनी कार्यवाई की जाएगी और केआरसीएल की भविष्य की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा।

सामान को सुरक्षित रखने के लिए क्लॉक रूम की व्यवस्था परीक्षा स्थलों पर उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन आदि सहित कोई भी मूल्यवान/प्रतिबंधित वस्तु न लाएं। सीबीटी स्थल पर लाई गई ऐसी किसी भी वस्तु के नुकसान के लिए केआरसीएल प्रबंधन जिम्मेदार नहीं होगा।

14.6 सीबीटी- उत्तिर्ण होने के अंक।

भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अंकों का न्यूनतम प्रतिशत विभिन्न श्रेणियों के लिए निम्नानुसार होगा।

पद	यूआर और ईडब्ल्यूएस	ओबीसी-एनसीएल, एससी और एसटी
समूह – सी (पीएमएल-2,5,6 और 7)	50%	40%
पूर्ववर्ती ग्रुप-डी (पीएमएल-1)	40%	30%

नोट: 1. ऊपर उल्लिखित न्यूनतम योग्यता अंक हैं। यदि आवश्यक संख्या से अधिक उम्मीदवार न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो, कटऑफ, योग्यता अंकों से अधिक हो सकता है।

2. पात्रता के लिए ये प्रतिशत अंक PwBD उम्मीदवारों के लिए 2% तक कम किए जा सकते हैं।

14.7 सीबीटी- पैटर्न और सिलेबस

सीबीटी पैटर्न- सीबीटी में प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी में होंगे, जिसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर/सिविल, सीनियर सेक्शन इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल सुपरवाइजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, टेक्नीशियन/मैकेनिकल, टेक्नीशियन/इलेक्ट्रिकल, ईएसटीएम और असिस्टेंट लोको पायलट के पद शामिल होंगे।

स्टेशन मास्टर और सहायक लोको पायलट के पदों के लिए सीबीटी/ओएमआर आधारित योग्यता परीक्षा अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।

ट्रैक मेंटेनर और पॉइंटमैन पदों के लिए सीबीटी 5 भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, कोंकणी और कन्नड़) में होगी। उम्मीदवार को इनमें से किसी एक भाषा का चयन करना होगा।

नोट: विभिन्न संस्करणों के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

14.7.1 वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर/सिविल और वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए अनुभाग-वार बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) की संख्या और अंक निम्नानुसार हैं:

परीक्षा अवधि मिनट में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक)				प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य विज्ञान	मूल / बेसिक गणित	सामान्य ज्ञान और तर्क	तकनीकी योग्यता	
90	10	20	20	50	100

प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे। खंड A- 50 अंकों का होगा, जिसमें सामान्य विज्ञान, बेसिक/मूल गणित, सामान्य ज्ञान और तर्क पाठ्यक्रम शामिल होंगे। खंड B- में तकनीकी योग्यता के लिए 50 अंक होंगे। खंड A- वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर/सिविल और वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल दोनों पदों के लिए सामान्य होगा। खंड B- वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर/सिविल और वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल के पद के लिए अलग-अलग होगा।

14.7.2 स्टेशन मास्टर, वाणिज्यिक पर्यवेक्षक और गुड्स ट्रेन मैनेजर के पदों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) की अनुभाग-वार संख्या और अंक निम्नानुसार हैं:

परीक्षा अवधि मिनटों में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक)			प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य विज्ञान	मूल / बेसिक गणित और एप्टीटुड	सामान्य ज्ञान और तर्क	
90	25	35	40	100

14.7.3 तकनीशियन-III/इलेक्ट्रिकल, तकनीशियन-III/मैकेनिकल और ईएसटीएम के पदों के लिए अनुभाग-वार बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) की संख्या और अंक नीचे दिए गए हैं:

परीक्षा अवधि मिनटों में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक)				प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य विज्ञान	मूल / बेसिक गणित	सामान्य ज्ञान और तर्क	तकनीकी योग्यता	
90	15	20	25	40	100

प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे। खंड A- 60 अंकों का होगा और इसमें सामान्य विज्ञान, बेसिक/मूल गणित, सामान्य ज्ञान और तर्क पाठ्यक्रम शामिल होंगे। खंड B- में तकनीकी योग्यता के लिए 40 अंक होंगे। खंड A- तकनीशियन-III/इलेक्ट्रिकल, तकनीशियन-III/मैकेनिकल और ईएसटीएम पदों के लिए समान होगा। खंड B तकनीशियन-III/इलेक्ट्रिकल और ESTM पद के लिए सामान्य होगा। खंड B तकनीशियन-III/मैकेनिकल के पद के लिए अलग होगा।

14.7.4 सहायक लोको पायलट के पदों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) की अनुभाग-वार संख्या और अंक निम्नानुसार हैं:

परीक्षा अवधि मिनटों में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक)				प्रश्नों की कुल संख्या
	सामान्य विज्ञान	मूल / बेसिक गणित	सामान्य ज्ञान और तर्क	तकनीकी योग्यता	
90	15	20	25	40	100

प्रश्न पत्र में दो खंड होंगे। खंड A- 60 अंकों का होगा और इसमें सामान्य विज्ञान, बेसिक/ मूल गणित, सामान्य ज्ञान और तर्क पर पाठ्यक्रम शामिल होगा। खंड B- तकनीकी योग्यता पर 40 अंकों का होगा।

14.7.5 टैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन के पदों के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों (एमसीक्यू) की अनुभागवार संख्या और अंक निम्नानुसार हैं:

परीक्षा अवधि मिनटों में	प्रश्नों की संख्या (प्रत्येक 1 अंक)			प्रश्नों की कुल संख्या
	मूल / बेसिक विज्ञान	मूल / बेसिक गणित	सामान्य ज्ञान और चालू घटनाये (करंट अफेयर्स)	
90	20	30	50	100

उपरोक्त तालिकाओं में दिया गया अनुभागवार वितरण केवल सांकेतिक है। वास्तविक प्रश्न /पत्रों में कुछ बदलाव हो सकते हैं।

14.8 सीनियर सेक्शन इंजीनियर/सिविल और सीनियर सेक्शन इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल के पद के लिए प्रश्न बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और इनमें निम्नलिखित से संबंधित प्रश्न शामिल होने की संभावना है:

सामान्य विज्ञान :विज्ञान की बुनियादी अवधारणाएँ (कक्षा XII मानक).

बुनियादी गणित:

संख्या प्रणाली, दशमलव, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशॉस और प्रोपोरशंस, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, टाइम और वर्क, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी आदि।

सामान्य ज्ञान और तर्क:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भौतिक, सामाजिक और भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, कंप्यूटर की मूल बातें और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य शब्द -संक्षेप, भारत में परिवहन प्रणालियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत की महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र संगठन आदि।

एनॉलॉजी, संख्या और वर्णमाला श्रृंखला को पूरा करना, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, समानताएं और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन आरेख, पज़ल, डेटा सफिशियंसी, कथन-निष्कर्ष, कथन- पाठ्यक्रम, निर्णय लेना, मानचित्र, इंटरप्रिटेशन ग्राफ़ की व्याख्या आदि।

तकनीकी योग्यता (वरिष्ठ अनुभाग इंजीनियर/सिविल के पद के लिए) : सिविल इंजीनियरिंग और/या सिविल इंजीनियरिंग की मूल धाराओं की किसी भी उप-धारा।

तकनीकी योग्यता (सीनियर सेक्शन इंजीनियर/इलेक्ट्रिकल के पद के लिए) : मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और/या मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की मूल धाराओं की किसी भी उपधारा की।

14.9 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिनमें स्टेशन मास्टर, वाणिज्यिक पर्यवेक्षक और मालगाड़ी प्रबंधक के पद के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और इनमें निम्नलिखित के बारे में प्रश्न शामिल होने की संभावना है:

सामान्य विज्ञान :विज्ञान की बुनियादी अवधारणाएँ (कक्षा X मानक).

बुनियादी गणित और एप्टीट्यूड:

संख्या प्रणाली, दशमलव, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशॉस और प्रोपोरशंस, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, अनुपात, प्रतिशत, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी आदि।

सामान्य ज्ञान और तर्क:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भौतिक, सामाजिक और भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, कंप्यूटर की मूल बातें और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य शब्द संक्षेप, भारत में परिवहन प्रणालियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत की महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

एनॉलॉजी, संख्या और वर्णमाला श्रृंखला को पूरा करना, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, समानताएं और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, सिलोगिज्म, जबलिंग, वेन आरेख, पज़ल, डेटा सफिशियंसी, कथन-निष्कर्ष, कथन-पाठ्यक्रम, निर्णय लेना, मानचित्र, इंटरप्रिटेशन ग्राफ़ की व्याख्या आदि।

14.10. तकनीशियन-III/इलेक्ट्रिकल, तकनीशियन-III/मैकेनिकल, ईएसटीएम और सहायक लोको पायलट के पदों के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल होंगे:

सामान्य विज्ञान : विज्ञान की बुनियादी अवधारणाएँ (कक्षा X मानक)|

बुनियादी गणित:

संख्या प्रणाली, दशमलव, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशंस और प्रोपोरशंस, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, अनुपात, प्रतिशत, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, प्राथमिक बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी आदि।

सामान्य ज्ञान और तर्क:

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल, भारत की कला और संस्कृति, भारतीय साहित्य, भारत के स्मारक और स्थान, सामान्य विज्ञान और जीवन विज्ञान (10 वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड तक), भारत का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम, भौतिक, सामाजिक और भारत और विश्व का आर्थिक भूगोल, भारतीय राजनीति और शासन-संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास, संयुक्त राष्ट्र और अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, कंप्यूटर की मूल बातें और कंप्यूटर अनुप्रयोग, सामान्य शब्द संक्षेप, भारत में परिवहन प्रणालियाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियाँ, प्रमुख सरकारी कार्यक्रम, भारत की वनस्पति और जीव, भारत की महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन आदि।

एनॉलॉजी, संख्या और वर्णमाला श्रृंखला को पूरा करना, कोडिंग और डिकोडिंग, गणितीय संचालन, समानताएं और अंतर, संबंध, विश्लेषणात्मक तर्क, सिलोगिज्म, जबलिंग, वेन आरेख, पज़ल, डेटा सफिशियंसी, कथन-निष्कर्ष, कथन-पाठ्यक्रम, निर्णय लेना, मानचित्र, इंटरप्रिटेशन ग्राफ़ की व्याख्या आदि।

तकनीकी योग्यता: तकनीशियन-III/इलेक्ट्रिकल और ईएसटीएम के पद के लिए: इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और वायरमैन के ट्रेड।

तकनीशियन-III/मैकेनिकल के पद के लिए: फिटर, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक (भारी वाहनों की मरम्मत और रख-रखाव), मैकेनिक ऑटोमोबाइल (एडवांस डीजल इंजन), मैकेनिक (मोटर वाहन), ट्रैक्टर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर के ट्रेड।

सहायक लोको पायलट के पद के लिए: आर्मेचर और कॉइल वाइन्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर, हीट इंजन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मशीनिस्ट, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक (मोटर वाहन), मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो और टीवी, रेफ्रिजरेशन और एयर-कंडीशनिंग मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, वायरमैन के ट्रेड में।

नोट: ट्रेड पाठ्यक्रम डीजीईटी वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

14.11 ट्रैक मेंटेनर और पॉइंट्समैन के पद के लिए प्रश्न बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे और इनमें निम्नलिखित प्रश्न शामिल होने की संभावना है:

मूल विज्ञान: सातवीं कक्षा के स्तर का भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीवन विज्ञान।

मूल गणित: संख्या प्रणाली, BODMAS, दशमलव, अंश, LCM, HCF, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत,

क्षेत्रमिति, समय और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक सांख्यिकी आदि। सामान्य जागरूकता और समसामयिक मामले: विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, इतिहास, भूगोल, संस्कृति, व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र, राजनीति और अन्य महत्वपूर्ण विषय।

उपर्युक्त सूची संपूर्ण नहीं है और अन्य संबंधित विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

14.12 उत्तर कुंजी के बारे में आपत्ति: सीबीटी के पश्चात, कोंकण रेलवे की वेबसाइट (www.konkanrailway.com) पर एक लिंक प्रदान किया जाएगा, जिससे सीबीटी में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अपने प्रश्नपत्र, उत्तर और उत्तर कुंजी देख सकेंगे। इन विवरणों को देखने के पश्चात, प्रकाशित प्रश्नों, विकल्पों और कुंजियों के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो, तो अभ्यर्थी उसे दर्ज कर सकते हैं, जिसके लिए केआरसीएल की वेबसाइट पर सारणी प्रकाशित कि जाएगी। उम्मीदवार प्रत्येक आपत्ति के लिए 59/- रुपये (लागू शुल्क 50/- रुपये + जीएसटी @ 18%) + गेटवे शुल्क, यदि कोई हो, का भुगतान करके ऑनलाइन अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि आपत्ति सही है, तो ऐसी वैध आपत्तियों के तहत भुगतान किया गया शुल्क उम्मीदवार को वापस कर दिया जाएगा, जिसमें लागू बैंक शुल्क की कटौती की जाएगी। हालांकि, यदि आपत्ति गलत है, तो अभ्यर्थी को वह राशि जब्त कर ली जाएगी।

15.0 अंकों का सामान्यीकरण

सीबीटी और सीबीएटी/ओएमआर आधारित योग्यता परीक्षणों के लिए परीक्षा कई सत्रों में आयोजित की जा सकती है। इन बहु-सत्रीय पत्रों के लिए, विभिन्न सत्रों में प्रश्नपत्रों के कठिनाई स्तरों में किसी भी भिन्नता को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त सामान्यीकरण लागू किया जाता है। बहु-सत्रीय पत्रों के लिए सामान्यीकृत अंकों की गणना करने का सूत्र नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है:

Normalization mark of j^{th} candidate in i^{th} session \widehat{M}_{ij} is given by :

$$\widehat{M}_{ij} = \frac{\overline{M}_i^g - M_q^g}{M_{ii} - M_{iq}} (M_{ij} - M_{iq}) + M_q^g$$

M_{ij} : is the actual marks obtained by the j^{th} candidate in i^{th} session.

\overline{M}_i^g : is the average marks of the top 0.1% of the candidates considering all sessions.

M_q^g : is the sum of mean and standard deviation marks of the candidates in the paper considering all sessions.

M_{ii} : is the average marks of the top 0.1% of the candidates in the i^{th} session or marks of topper if session strength is less than 1000.

M_{iq} : is the sum of the mean marks and standard deviation of the i^{th} session.

16.0 शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी):

शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन किया जाएगा:

पुरुष: एक बार में 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी दौड़ने में सक्षम होना चाहिए।

महिला: एक बार में 3 मिनट 10 सेकंड में 400 मीटर की दूरी दौड़ने में सक्षम होना चाहिए।

17.0 पदों के लिए चिकित्सा मानक

डीवी (दस्तावेज सत्यापन) के लिए बुलाए गए और पात्र पाए गए उम्मीदवारों को अधिसूचित रिक्तियों की सीमा तक अपने अंतिम पैनल में शामिल होने से पहले एक अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उम्मीदवार को चिकित्सा परीक्षण का खर्च स्वयं वहन करना होगा। दृश्य तीक्ष्णता मानक केआरसीएल कर्मचारियों के लिए चिकित्सा फिटनेस के आवश्यक मानदंडों में से एक है। विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न चिकित्सा मानकों को के अनुसार चिकित्सा आवश्यकताएँ नीचे उल्लिखित हैं:

क्र. सं.	चिकित्सा मानक	सामान्य स्वास्थ्य	दृष्टि मानक
1	ऐ-1	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	दूर दृष्टि-6/6, 6/6 बिना चश्मे के फॉगिंग टेस्ट के साथ (+2डी स्वीकार नहीं करना चाहिए)। निकट दृष्टि-एसएन: चश्मे के बिना 0.6,0.6 और रंग दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, दृष्टि क्षेत्र, रात्रि दृष्टि और मेसोपिक दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा।
2	ऐ-2	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	दूर दृष्टि-6/9, 6/9 बिना चश्मे के। निकट दृष्टि-एसएन:0.6,0.6 और रंग दृष्टि,दूरबीन दृष्टि, रात्रि दृष्टि और मेसोपिक दृष्टि का परीक्षण पास करना होगा।
3	ऐ-3	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	दूर दृष्टि- 6/9, 6/9 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के (लेस की क्षमता 2 डी से अधिक नहीं)। निकट दृष्टि- एसएन: 0.6, 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। रंगीन दृष्टि,दूरबीन दृष्टि,रात्रि दृष्टि और निकट दृष्टि के लिए परीक्षण पास करना होगा।
4	बी-1	PwBD को छोड़कर जो सभी मायनों में शारीरिक रूप से फिट है	दूर दृष्टि - 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के (लेस की क्षमता 4D से अधिक नहीं) निकट दृष्टि - एसएन: 0.6, 0.6 जब पढ़ते समय या नजदीकी काम करते समय चश्मे के साथ या बिना चश्मा। रंग के लिए दृष्टि, दूरबीन दृष्टि, रात्रि दृष्टि, मेसोपिक दृष्टि के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
5	सी -1	शारीरिक रूप से हर तरह से फिट	दूर दृष्टि - 6/12, 6/18 चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। निकट दृष्टि - एसएन: 0.6, 0.6 जब पढ़ते समय या नजदीकी काम करते समय चश्मे के साथ या बिना चश्मा।

जिन उम्मीदवारों ने दुर्दम्य त्रुटि को ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी या कोई अन्य सर्जिकल प्रक्रिया कराई है, वे ए-1, ए-2, ए-3 और बी -1 के मेडिकल मानक वाले पद के लिए पात्र नहीं हैं।

चक्कर से पीड़ित अभ्यर्थी - ए-1, ए-2, ए-3 में फिट नहीं।

संक्रामक और संक्रामक विकारों, मिर्गी, अस्थमा, ओटोरिया, मानसिक बीमारी, इस्केमिक हृदय रोग, हकलाना, वाल्युलर रोग, सुनने में परेशानी, उच्च रक्तचाप, मोटापा, खराब गुर्दे की स्थिति आदि वाले उम्मीदवार ए-1, ए-2, ए-3, बी-1 के लिए पात्र नहीं होंगे।

उपरोक्त चिकित्सा मानक केवल सांकेतिक प्रकृति के हैं, संपूर्ण नहीं हैं। चयनित उम्मीदवारों को केआरसीएल चिकित्सा नियमावली के अनुसार एक विस्तृत चिकित्सा परीक्षा से गुजरना होगा।

उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे जिस पद के लिए चयन कर रहे हैं, उसके लिए वे निर्धारित चिकित्सा मानकों को पूरा करते हैं। जो उम्मीदवार चयनित पद (पदों) के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त पाए जाएंगे, उन्हें कोई वैकल्पिक नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

18.0 परीक्षा शुल्क

18.1 इस अधिसूचना में पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक परीक्षा के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क रु. 885/- (लागू शुल्क रु. 750/- + जीएसटी @ 18%, यानी रु. 135/-) + गेटवे शुल्क का भुगतान करना होगा, यदि कोई हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, महिला, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए, सीबीटी में उपस्थित होने पर लागू बैंक शुल्क की कटौती करके उम्मीदवारों को शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

18.2 अल्पसंख्यकों में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी (पारसी) शामिल हैं, जो ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 06/10/2024 तक प्राप्त संशोधन/हटाने/शामिल किए जाने के अधीन हैं।

"अल्पसंख्यक समुदाय घोषणा" के लिए शपथ पत्र: परीक्षा शुल्क की छूट का दावा करने वाले अल्पसंख्यक उम्मीदवारों को डीवी (दस्तावेज सत्यापन) के समय अपने अल्पसंख्यक समुदाय का उल्लेख करते हुए गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर एक शपथ पत्र (अनुलग्नक- VIII के अनुसार) प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

18.3 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईबीसी) के उम्मीदवार वे हैं जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 50,000/- रुपये से कम है और रियायती शुल्क के लिए पात्र हैं (उपरोक्त पैरा 15.0 के अनुसार) इसके लिए, उनके पास होना चाहिए:

क) जारीकर्ता प्राधिकारी के लेटरहेड पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-VII के अनुसार) में आवेदन की तिथि पर वैध आय प्रमाण- पत्र। निम्नलिखित प्राधिकारी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के उद्देश्य से आय प्रमाण- पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं:

- जिला मजिस्ट्रेट या तहसीलदार स्तर तक का कोई अन्य राजस्व अधिकारी
- अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लोकसभा के वर्तमान संसद सदस्य
- राज्य सभा के वर्तमान संसद सदस्य उस जिले के व्यक्तियों के लिए जहां ये सांसद रहते हैं।
- देश में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति के लिए केंद्रीय मंत्री।

(या)

ख) बीपीएल कार्ड या किसी मान्यता प्राप्त गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी कोई अन्य प्रमाण पत्र

(या)

सभी ईबीसी उम्मीदवार जो रियायती शुल्क चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन में वैध ईबीसी प्रमाण पत्र/बीपीएल कार्ड के लागू विवरण भरने चाहिए और डीवी के समय इसकी मूल प्रति भी जमा करनी होगी, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी।

नोट: ईबीसी और ईडब्ल्यूएस अलग-अलग श्रेणियां हैं, और ईबीसी को ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। ईबीसी उम्मीदवारों को पता होना चाहिए कि वे केवल शुल्क रियायत के हकदार हैं, नौकरी में आरक्षण के नहीं।

19.0 शुल्क के भुगतान के तरीके

- ऑनलाइन शुल्क भुगतान केवल इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवार को सभी लागू सेवा शुल्क वहन करना होगा।

- उम्मीदवारों द्वारा शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। किसी अन्य माध्यम से शुल्क का भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं होगा।

- निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

20.0 परीक्षा शुल्क की वापसी (केवल सीबीटी में भाग लेने वालों के लिए)

- सीबीटी में उपस्थित होने वाले छूट प्राप्त श्रेणियों के उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क वापस किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान (नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई) के माध्यम से उनके द्वारा भुगतान किया गया 750/- रुपये का परीक्षा शुल्क बैंक शुल्क काटकर उसी खाते में वापस कर दिया जाएगा, जहां से ऑनलाइन भुगतान किया गया था।

- त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण या अस्वीकृत आवेदनों के लिए परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

21.0 ई-कॉल लेटर से संबंधित निर्देश

क) ई-कॉल लेटर विवरण के बारे में सभी पात्र उम्मीदवारों को एसएमएस और ईमेल द्वारा संदेश भेजे जाएंगे। पात्र उम्मीदवार सीबीटी/सीबीएटी या ओएमआर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट/डीवी (जैसा लागू हो) की तारीख से लगभग 10 दिन पहले केआरसीएल वेबसाइट से ई-कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

ख) उम्मीदवारों को डाक द्वारा कोई कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा।

ग) उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर जारी करने मात्र से यह नहीं माना जाएगा कि केआरसीएल ने अंततः उनकी उम्मीदवारी स्वीकार कर ली है।

घ) उम्मीदवारों को ई-कॉल लेटर पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक से पढ़ना चाहिए और उनका ईमानदारी से पालन करना चाहिए। निर्देशों का पालन न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

ड) निःशुल्क यात्रा सुविधा: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के मामले में, जिन्होंने निःशुल्क यात्रा अधिकार (स्लीपर क्लास रेलवे पास) का लाभ उठाने के लिए अपने समुदाय प्रमाण-पत्र का विवरण अपलोड किया है, सीबीटी/सीबीएटी या ओएमआर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ई-कॉल लेटर/ डीवी/एमई (जैसा लागू हो) में मुफ्त यात्रा अधिकार शामिल होगा और ऐसे उम्मीदवारों को टिकट बुकिंग काउंटर पर ई-कॉल लेटर और एससी/एसटी प्रमाण पत्र की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी जमा करने पर टिकट बुक करने की अनुमति दी जाएगी। यात्रा के दौरान, इन उम्मीदवारों को यात्रा करने के लिए मूल सामुदायिक प्रमाणपत्र और पहचान का एक मूल निर्धारित प्रमाण साथ रखना होगा, ऐसा न करने पर उन्हें बिना टिकट यात्रा माना जाएगा और तदनुसार शुल्क लिया जाएगा।

इस यात्रा अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई भी प्रयास चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर देगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं के लिए रोक भी शामिल है।

च) उम्मीदवारों को अपने ई-कॉल लेटर के साथ परीक्षा हॉल में एक वैध मूल फोटो पहचान पत्र (अर्थात् मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ई-आधार का प्रिंटआउट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, उम्मीदवार के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र), सरकारी कर्मचारी, स्कूल/कॉलेज/विश्वविद्यालय का फोटो पहचान पत्र (यदि अभी भी पढ़ रहा है), आदि लाना होगा। ऐसा न करने पर उम्मीदवारों को सीबीटी/सीबीएटी या ओएमआर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट/डीवी (जैसा लागू हो) में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22.0 मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रमाण पत्रों का प्रारूप.

पीएमएल-1 पदों के अलावा अन्य सभी पदों के लिए:

-सीबीटी (और सीबीएटी या ओएमआर आधारित योग्यता परीक्षा, जहां भी लागू हो) को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित पीएमएल और पदों के लिए योग्यता के क्रम में, पदों की संख्या के बराबर डीवी के लिए बुलाया जाएगा।

-भूमि अधिग्रहित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

- यदि रिक्तियों को भरने के लिए भूमि-हरण वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं, तो गैर-भूमि-हरण वाले उम्मीदवारों को डी.वी. के लिए बुलाया जाएगा।

-रिक्तियों की संख्या के अतिरिक्त 30% अतिरिक्त उम्मीदवारों को भी संबंधित वेतन स्तर और पद के लिए डीवी के लिए बुलाया जाएगा।

- हालाँकि, इन अतिरिक्त उम्मीदवारों को केवल तभी पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जब मेरिट सूची में कोई कमी हो या अनुशंसित उम्मीदवारों के कार्यरत पद पर शामिल न होने या/और किसी अन्य विशेष आवश्यकता के कारण कमी के स्थान पर प्रतिस्थापन के रूप में।

यदि दो या अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं, तो उनकी योग्यता स्थिति उनकी आयु मानदंड के आधार पर निर्धारित की जाएगी। उदाहरण के लिए, अधिक उम्र के व्यक्ति को उच्च योग्यता दी जाएगी, और यदि आयु समान है, तो योग्यता स्थिति तय करने के लिए नाम के वर्णमाला क्रम (ए से जेड) को ध्यान में रखा जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति केआरसीएल द्वारा आयोजित अपेक्षित मेडिकल फिटनेस परीक्षा में उत्तीर्ण होने, शैक्षिक और सामुदायिक प्रमाणपत्रों के अंतिम सत्यापन के साथ-साथ उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त/चरित्र के सत्यापन के अधीन है। मेडिकल फिटनेस परीक्षा का खर्च उम्मीदवार द्वारा किया जाएगा।

यदि उम्मीदवार अपेक्षित मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता है तो केआरसीएल भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में ऐसे किसी भी आवेदक की उम्मीदवारी को अस्वीकार कर सकता है और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार को सेवा से हटा दिया जाएगा।

दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के समय सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित फोटो प्रतियों के एक सेट के साथ सभी मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

सभी प्रमाण-पत्र या तो अंग्रेजी या हिंदी में ही होने चाहिए। जहां प्रमाण-पत्र अंग्रेजी/हिंदी में नहीं हैं, वहां स्व-प्रमाणित अनुवादित संस्करण (हिंदी/अंग्रेजी में) जहां भी/जब भी आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत प्रमाण-पत्र पूर्णतया निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए।

दस्तावेज सत्यापन की तारीख पर अपने मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले उम्मीदवारों को कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा और ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

जो उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहेंगे, उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी।

23.0. दस्तावेज सत्यापन के समय सत्यापन के लिए उम्मीदवारों को मूल दस्तावेज(जैसा लागू हो)लाने होंगे:

क) भूमि अधिग्रहित उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेजों के साथ-साथ नीचे उल्लिखित अन्य दस्तावेजों, जैसा लागू हो, का प्रस्तुत करना चाहिए।

- i. अनुलग्नक-I के रूप में एसएलएओ द्वारा जारी भूमि अधिग्रहण के प्रमाण पत्र की सत्यापित फोटो प्रति
- ii. तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति, जिसमें भूमि अधिग्रहण होने वाले की कुल भूमि के संबंध में अधिग्रहित हुई भूमि का प्रतिशत दर्शाया गया है - अनुबंध - II के अनुसार (सभी सर्वेक्षण संख्याओं सहित)। एसएलएओ और तहसीलदार प्रमाणपत्रों का विवरण मेल खाना चाहिए।
- iii. 200/- रुपये के स्टॉप पेपर पर शपथ-पत्र के साथ राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी भूमि अधिग्रहित के साथ संबंध का प्रमाण।
- iv. केआरसीएल प्रारूप (अनुलग्नक-III) के अनुसार रु. 200/- के स्टॉप पेपर पर यह वचन पत्र कि एकल/संयुक्त भूमि के परिवार/परिवारों में से किसी भी अन्य सदस्य को किसी भी रूप में भूमि अधिग्रहित के आधार पर केआरसीएल में नियुक्त नहीं किया गया है। (एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आवश्यक नहीं)।
- v. कोकण रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के वर्ष से संबंधित भूमि के आरटीसी दस्तावेजों (7/12/फॉर्म संख्या XIV आदि) की सत्यापित फोटोकॉपी। (हाल की तारीख का दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जायेगा)। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिग्रहित भूमि का विवरण और जिसकी भूमि अधिग्रहित हो गयी है उनके के नाम एसएलएओ और तहसीलदार दोनों प्रमाणपत्रों में मेल खा रहे हैं। भूमि अधिग्रहिता की मृत्यु के मामले में (जिसका नाम एसएलएओ और तहसीलदार प्रमाण पत्र में दर्ज है), कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र और मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।

ख) जन्मतिथि और मैट्रिकुलेशन योग्यता के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन/हाई स्कूल परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र। (आवेदन में उल्लिखित उम्मीदवारों का नाम और पिता/माता का नाम इस प्रमाण पत्र में उल्लिखित नामों के संदर्भ में सत्यापित किया जाएगा।)

ग) एचएससी, स्नातक और आईटीआई/एनसीवीटी-एससीवीटी प्रमाण पत्र, जैसा लागू हो

घ) आधार कार्ड और पैन कार्ड की दोनों तरफ की फोटो कॉपी।

ड) अधिवास प्रमाण पत्र यह दर्शाता है कि उम्मीदवार महाराष्ट्र या गोवा या कर्नाटक राज्य से है।

च) अनुलग्नक-IV के अनुसार प्रारूप में एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र।

छ) ओबीसी-एनसीएल जाति प्रमाणपत्र अनुलग्नक-V के अनुसार प्रारूप में दस्तावेज सत्यापन की तारीख से एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

ज) अनुलग्नक-VI के अनुसार प्रारूप में ओबीसी घोषणा।

झ) अनुलग्नक-VII के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए आय प्रमाण पत्र।

त्र) अनुलग्नक-VIII के रूप में गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अल्पसंख्यक समुदाय की घोषणा।

त) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) द्वारा आय और संपत्ति प्रमाणपत्र अनुलग्नक-IX के अनुसार प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है।

थ) अनुलग्नक- वी(ए), वी(बी), वी(सी) के अनुसार पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र,जैसा लागू हो।

द) यदि उम्मीदवार रेलवे या पीएसयू सहित किसी भी केंद्रीय/राज्य सरकार के विभाग में सेवारत कर्मचारी (प्रारंभिक प्रशिक्षण/परिवीक्षा से गुजरने वाले लोगों सहित) है,तो नियुक्ति की तारीख के साथ वर्तमान नियोक्ता से एनओसी देनी चाहिए।

ध) भूतपूर्व सैनिक के लिए मूल सेवामुक्ति प्रमाण पत्र। सेवारत रक्षा कार्मिक से सेवामुक्ति की संभावित तारीख के साथ एनओसी (यदि लागू हो)

न) नाम के औपचारिक परिवर्तन के मामले में राजपत्र अधिसूचना और/या कोई कानूनी दस्तावेज।

24.0 महत्वपूर्ण निर्देश

- चयनित उम्मीदवारों को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परियोजना स्थान सहित उसके परिचालन क्षेत्र में कहीं भी तैनात और स्थानांतरित किया जा सकता है। हालाँकि, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी अन्य क्षेत्रीय रेलवे में स्थानांतरण के लिए पात्र नहीं हैं। उनके पास भारतीय रेलवे के किसी भी क्षेत्र या मंडल या उत्पादन इकाइयों या रेलवे पीएसयू या किसी अन्य रेलवे प्रतिष्ठान में स्थानांतरण के अधिकार के रूप में कोई दावा नहीं होगा।
- भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों में प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम होगा, बशर्ते कि उम्मीदवार सभी निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।
- सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर अंग्रेजी या हिंदी में एक जैसे होने चाहिए। सीबीटी और डीवी आदि (जैसा लागू हो) के समय अलग-अलग शैली या भाषा में हस्ताक्षर करने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है।
- केआरसीएल द्वारा चयन उम्मीदवारों को केआरसीएल में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं देता है। नियुक्ति रिक्तियों की उपलब्धता और पूर्ववृत्त और चरित्र सहित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन होगी।
- चयनित उम्मीदवारों को जहाँ भी निर्धारित हो वहाँ प्रशिक्षण लेना होगा और प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल लागू स्टापपेंड का भुगतान किया जाएगा।
- चयनित उम्मीदवारों को जहाँ भी आवश्यक हो, सुरक्षा और/या क्षतिपूर्ति बॉन्ड, नौकरी समझौते को निष्पादित करना होगा।
- ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत वैध जाति प्रमाण-पत्र के विवरण के अनुसार, अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमती उम्मीदवारों के लिए स्वीकार्य निःशुल्क स्लीपर क्लास रेलवे पास ई-काल लेटर का हिस्सा होगा, जब उन्हें चयन के विभिन्न चरणों जैसे सीबीटी/सीबीएटी या ओएमआर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। / डीवी/ एमई (जैसा लागू हो)।
- केआरसीएल अधिसूचना के तहत आवश्यकता और लागू होने पर भर्ती के नियमों और शर्तों में किसी भी बाद के बदलाव/संशोधन/परिवर्धन को शामिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- किसी भी कारण से अंतिम दिन के भीतर अपना आवेदन जमा नहीं कर पाने वाले उम्मीदवारों के लिए केआरसीएल कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।
- जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में शामिल किया जा सकता है। तथापि, उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी पात्रता का आवश्यक प्रमाण-पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

25.0 प्रतिरूपण/तथ्यों को छिपाना - चेतावनी:

- i) कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए, अपने स्थान पर किसी अन्य को परीक्षा में शामिल होने के लिए भेजते हुए, प्रतिरूपण करने का प्रयास करते हुए पाया गया तो उसे केआरसीएल की सभी परीक्षाओं में बैठने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। उसे केआरसीएल में कोई भी नियुक्ति पाने से भी वंचित कर दिया जाएगा और यदि पहले से ही नियुक्त है, तो सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसे उम्मीदवारों पर कानूनी मुकदमा भी चलाया जा सकता है।
- ii) केआरसीएल को कोई भी गलत जानकारी देने या किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी को जान बूझकर छुपाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और केआरसीएल में नियुक्ति के लिए किसी भी चयन या परीक्षा में उपस्थित होने से रोक दिया जाएगा और यदि नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे उम्मीदवार की सेवा समाप्त की जा सकती है।
- iii) पात्रता हासिल करने और/या परीक्षा में शामिल होने के लिए मुफ्त यात्रा सहित विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के जाली/नकली प्रमाण पत्र/दस्तावेज जमा करते पाए जाने पर उम्मीदवार को उस विशेष भर्ती के लिए उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया है। इसके अलावा, उसे केआरसीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं से 2 वर्ष की अवधि के लिए/जीवन भर के लिए, जैसा उचित समझा जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाएगी।
- iv) उम्मीदवार भर्ती के संबंध में अपने हित को आगे बढ़ाने के लिए कोई राजनीतिक या अन्य प्रभाव नहीं डालेगा या लाने का प्रयास नहीं करेगा। ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी अस्वीकार की जा सकती है।

26.0. विविध:

केआरसीएल किसी भी स्तर पर सभी संबंधितों को इसका कारण बताकर अतिरिक्त सीबीटी/सीबीएटी या ओएमआर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट/पीईटी/डीवी (जैसा लागू हो) आयोजित करने का अधिकार संरक्षित रखता है। केआरसीएल के पास इस अधिसूचना में अधिसूचित किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी स्तर पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया के आंशिक या संपूर्ण भाग को सभी संबंधितों के कारण सूचित करते हुए रद्द करने का अधिकार संरक्षित है।

पात्रता, ऑनलाइन आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, मुफ्त रेल पास जारी करने, गलत जानकारी के लिए दंडात्मक कार्रवाई, रिक्तियों में संशोधन, चयन का तरीका, सीबीटी/सीबीएटी या ओएमआर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट, पीईटी के संचालन से संबंधित सभी मामलों में केआरसीएल का निर्णय, डीवी, एमई, परीक्षा केंद्रों का आवंटन, चयन, चयनित उम्मीदवारों को पदों का आवंटन आदि के लिए अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा और इस संबंध में केआरसीएल द्वारा कोई पूछताछ या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस अधिसूचना से उत्पन्न कोई भी कानूनी मुद्दा उच्च न्यायालय मुंबई के कानूनी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा।

27.0 चेतावनी

केआरसीएल सभी आवेदकों को दलालों और नौकरी रैकेटियरों से सावधान रहने की सख्त सलाह देता है जो प्रभाव के माध्यम से या अनुचित और अनैतिक साधनों का उपयोग करके केआरसीएल में नौकरी हासिल करने के झूठे वादों से धोखा देने की कोशिश करते हैं। केआरसीएल ने अपनी ओर से कार्रवाई के लिए किसी भी एजेंट या कोचिंग सेंटर को नियुक्त नहीं किया है। उम्मीदवारों को किसी भी व्यक्ति/एजेंसी द्वारा किए जा रहे ऐसे किसी भी दावे के खिलाफ चेतावनी दी जाती है। उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से योग्यता के आधार पर किया जाता है। अनुचित तत्वों से सावधान रहें और उनके जाल में न फंसें। केआरसीएल को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया से पहले, उसके दौरान और उसके बाद किसी भी अनुचित साधन और अपराध में लिप्त होने से बचने की सख्त सलाह दी जाती है। ऐसे किसी भी कृत्य से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 और लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) नियम, 2024 के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

(000000)

किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ को ग्राह्य माना जाएगा